इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2015—श्रावण 30, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

सूचना

क्र. एफ-15-65-2015-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जावेगा.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

1. उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम (2) में, ''सहायक अध्यापक'' के स्थान पर, शब्द ''सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला)'' स्थापित किये जाएं.

NOTICE

F. No. 15-65-2015-XXII-P-2.—The Following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 53 read with sub-section (1) of Section 95 of the Madhya Pradesh

Panchayati Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of thirty-days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-IV, column (2), against serial number 2, for the word "Sahayak Adhyapak" the Words "Sahayak Adhyapak/Sahayak Adhyapak (Laboratry)" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.